राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या –5/कनिष्ठ लिपिक/परीक्षा /2011–12

दिनांक : 14.09.2011

आयोग के विज्ञापन संख्या–1/परीक्षा 'ग'/कनिष्ठ लिपिक/संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा/2011–12 दिनांक 17.05.2011 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिये 25 पद विज्ञापित किये गये थे। विज्ञापन के तहत आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 17.06.2011 रखी गई थी। तत्पश्चात् प्रेस–विज्ञप्ति दिनांक 09.06.2011 के तहत आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 20.06.2011 कर दी गई थी, के सन्दर्भ में यह अधिसूचित किया जाता है किः–

1. आयोग कार्यालय के पदों की संख्या में वृद्धि किये जाने के उपरान्त पदों स्थिति अब निम्न प्रकार हो गई हैः–

पद की क्रम संख्या	विभाग का नाम	कुल पदों की सं.	अजा		योग	अजजा		योग	पिछड़ा वर्ग		योग	विशेष पिछड़ा वर्ग		योग	सामान्य			योग
			सामान्य	महिला		सामान्य.	महिला		सामान्य	महिला		सामान्य	महिला		सामान्य	महिला	विधवा	
1	राज. लोक सेवा आयोग	31	3	1	4	3	--	3	5	1	6	--	--	--	13	4	1	18
3	अधीनस्थ कार्यालय	1366	आरक्षण की स्थिति नियमानुसार देय है। शासन से आरक्षण की स्थिति प्राप्त होने पर यथासमय विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।															

नोटः– राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत शासन से प्राप्त अर्थना के अनुसार अधीनस्थ कार्यालय हेतु कनिष्ठ लिपिक के रिक्त 1366 पदों पर भर्ती की कार्यवाही उक्त विज्ञापन के तहत ही की जाएगी।

2. आयोग के उक्त विज्ञापन संख्या के बिन्दु संख्या 6 ''आयु'' एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधानों को अब निम्न प्रकार से पढ़ा जावे।

आयु :– आयोग कार्यालय हेतु दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो,

परन्तुक :– राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ 7/6 /कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक 23.09.08 के क्रम में ''यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा। यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।''

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलें में 10 की वर्ष की छूट होगी।
3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें दो अवसर दिए जाएंगे।
5. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
7. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
8. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
9. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। **स्पष्टीकरण** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

नोट – (1) उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) यदि जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओं के पद आरक्षित नहीं होंगे उन्हें आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरूष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।

शासन सचिवालय हेतु दिनांक 1 अप्रेल, 2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो,

परन्तुक :– राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ 7/6 /कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक 23.09.08 के क्रम में ''यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा। यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।''

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलें में 10 की वर्ष की छूट होगी।
3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
4. भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
5. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

6. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
7. That a person holding a post temporarily under the Government shall be deemed to be within the age-limit had he been within the age-limit when he was initially appointed even though he had crossed the age-limit when he finally appears before the Commission/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had he been eligible as such at the time of his initial appointment;
8. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी।
9. That there shall be no restriction as to age for candidates already in service connection with the affairs of the state in a substantive capacity, or in a temporary capactiy continuously having been so appointed in any period before 15-10-1969 prior to their attaining the age of 25 years and in any period thereafter prior to their attaining the age of 28 years.
10. पूर्वी अफ्रीकी देशों के कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
11. That the upper age-limit mentioned above shall be relaxed up to 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 1-3-1963 and East African counties of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar with a futher relaxation up to 5 years in the case of persons beloinging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
12. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमिशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।
13. सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
14. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
15. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। **स्पष्टीकरण** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
16. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिकों को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए, परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी ।
17. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमो के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय :–
    1 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
    2 पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
    3 अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

    <u>नोट</u> – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 17 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

<u>आयु</u> :– <u>अधीनस्थ कार्यालयों हेतु दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो,</u>

<u>परन्तुक</u> :– राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ 7/6 /कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक 23.09.08 के क्रम में "यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा। यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलें में 10 की वर्ष की छूट होगी।
3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
4. There shall be no restriction as to age for a candidate already serving in connection with the affairs of the state in a substantive capacity, or in a temporary capactiy continuously having been so appointed prior to his/her attaining the age of 33 years.
5. भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
6. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें दो अवसर दिए जाएंगे।
7. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
8. पूर्वी अफ्रीकी देशों के कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
9. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
10. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
11. सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
12. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

13. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। **स्पष्टीकरण** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
14. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिकों को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए, परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी ।
15. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमो के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय :–
    1 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
    2 पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
    3 अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

<u>**नोट**</u> – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 15 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

3. इन पदों हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 20.06.11 से बढ़ाकर अब **<u>दिनांक 10 अक्टूबर, 2011</u> को रात्रि 12.00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) कर दी गई है।** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन लाईन आवेदन करें।
4. इन पदों हेतु जिन आवेदकों ने पूर्व में विज्ञापन के तहत आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
5. विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेगी, इसके लिये विस्तृत विज्ञापन तथा आयोग की वेब–साईट www.rpsc.gov.in देखें।

(डॉ.के.के.पाठक)
सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 1/परीक्षा 'ग'/कनिष्ठ लिपिक /संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा/2011–2012/ दिनांक– 17.05.2011

कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011

राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिक वर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 के अन्तर्गत शासन सचिवालय एवं आयोग कार्यालय हेतु कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के लिए निर्धारित ऑन लाइन आवेदन पत्र (**On Line Application form**) आमंत्रित किए जाते है।

विशेष नोटः–(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1. **आवेदन प्रक्रिया**– आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा **रुपये 40/–** (रुपये 35/– आवेदन–पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह **ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र** पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र **रुपये 5/–** ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन–लाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 35/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी। हाथ से भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2. कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों का विवरण

पद की क्रम संख्या	विभाग का नाम	कुल पदों की सं.	अजा		योग	अजजा		योग	पिछड़ा वर्ग		योग	विशेष पिछड़ा वर्ग		योग	सामान्य		योग	भूतपूर्व सैनिक	निःशक्त जन			खिलाड़ी	महिला Horizontal		योग
			सामान्य	महिला		सामान्य.	महिला		सामान्य	महिला		सामान्य	महिला		सामान्य	महिला			B/LV	HI	LD/CP		विधवा	परित्यक्ता	
1.	राज. लोक सेवा आयोग	25	3	–	3	3	–	3	4	1	5	–	–	–	10	4	14	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	शासन सचिवालय	325	42	10	52	32	08	40	55	13	68	3	0	3	130	32	162	40	3	3	3	6	26	6	32

नोट :– (A) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ती प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशो एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

(B) जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओं के पद आरक्षित नही होगें उन्हे आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरूष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।

शैक्षणिक योग्यता : (हिन्दी वर्जन)

क. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा,

और

ख. इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

या

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य सूचना प्रौधोगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.)।

"A Senior Secondary from a recognised Board or its equivalent examination,

And

B "O" or higher level Cerificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

Or

Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organised under National/ State Council of Vocational Training Scheme.

Or

Diploma in Computer Science/Computer Applications from a University estanlished by law in India or from an institution recognised by the Government.

Or

Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government.

Or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS-CIT) conduced by Verdhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited,"

आवश्यक नोट :– परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्त्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।

कनिष्ठ लिपिक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

परीक्षा की स्कीम :– प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके सामने दर्शित अंको का होगा, अर्थात् :–

प्रश्न पत्र	अवधि	अंक	प्रश्नो के प्रकार
फेज–I			
1. सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित।	3 घण्टे	100	वस्तुनिष्ठ
2. सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी।	3 घण्टे	100	वस्तुनिष्ठ

फेज–II

I- निःशक्त व्यक्तियों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए :

1. कम्प्यूटर पर हिन्दी में टंकण			
क.	गति परीक्षण	10 मिनट	25
ख.	दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25
2. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण			
क.	गति परीक्षण	10 मिनट	25
ख.	दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25

II- निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज I में प्राप्त औसत अंक दिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण :–

1. "निःशक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के उपबन्धों के अधीन कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र है।
2. इस प्रकार निःशक्त होने के प्रमाण स्वरूप अभ्यर्थी से, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आयोग को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के समय ऐसे अधिकारी, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।
3. प्रश्न पत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा का हैं परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार वह होगा जो आयेाग समय–समय पर विहित करे और उससे अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से संसूचित किया जायेगा जो आयोग उचित समझे।
4. प्रतियोगी परीक्षा दो फेज में – फेज I और फेज II में आयोजित की जायेगी। फेज I के समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगें।
5. विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के अध्यधीन फेज I में न्यूनतम 40 % अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही फेज II में प्रवेश दिया जायेगा किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा जो अंको का समान प्रतिशत प्राप्त करते है।
6. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के फेज I और फेज II में प्राप्त अंको की गणना, उनकी अंतिम योग्यताक्रम अवधारित करने के लिए की जायेगी।
7. किसी अभ्यर्थी के लिए कम्प्यूटर पर टंकण कार्य करना आवश्यक होगा और वह परीक्षा के अपने स्वयं का कम्प्यूटर, पेन और पेन्सिल लायेगा।

विशेष सूचना :–

1 उपरोक्तानुसार भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्तजन/उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात जिस वर्ग (SC/ST/OBC/GEN) का अभ्यर्थी उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा ।

2 भूतपूर्व सैनिक :

(1) भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

(2) भूतवूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा ।

3 महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा ।

A स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ी एवं विशेष पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नही। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

B महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

4 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा एवं विशेष विछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है से ही भरे जायेगें । **राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा ।**

5 अ0जा0/अ0ज0जा0 के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/ पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा । राजस्थान के अन्य पिछडी जाति, भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जायेगा ।

6. **निः शक्त व्यक्तियों के लिए :– i** निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

ii निःशक्तजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

iii ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

7 विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी** की जाती है तो जिसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

8. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पुर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो गणना नही की जावेगी।

9 पेंशनः– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमाानुसार दिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

10 ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्तियों दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। **पद का वेतनमान रू. 5200–20200 मासिक नियम पारिश्रमिक नियमानुसार।**

11 आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजियन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

3. आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक — अन्तिम दिनांक 17.06.2011 को रात्रि 12.00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) आवेदको को सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन लाईन आवेदन करे।

4. परीक्षा का माह एवं दिनांक — परीक्षा तिथि की सूचना ही शीघ्र जारी की जाएगी। परीक्षा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अथवा आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर सम्भागीय जिला मुख्यालयों पर ली जाने की संभावना है। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। अतः आवेदक लिखित परीक्षा हेतु किसी एक जिले का नाम भरे।

5. परीक्षा शुल्क :— आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से आयोग को भेजें:—

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रुपये 250/—**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– **रुपये 150/—**

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु– **रुपये 50/—**

नोट :—1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रुपये 40/— (रु. 35/—** आवेदन पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/—** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।

2. *ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (CSC) पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।*

3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं।

4. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** नहीं हैं वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।

6. आयु :— आवेदक आयोग कार्यालय हेतु **1 जनवरी, 2012 एवं शासन सचिवालय हेतु 1 अप्रेल, 2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो**,

परन्तुक :— राज्य सरकार के अधिसूचना कमांक एफ7/6 /कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक 23.09.08 के कम में " जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टी से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।"

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलें में 10 की वर्ष की छूट होगी।
3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदको के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
4. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
5. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
6. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास / वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी ।
7. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।
8. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
9. कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
10. राजस्थान राज्य के कारोबार में सस्थाई (Substantive) रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में 40 वर्ष तक होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
11. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमिशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।
12. सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
13. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। **स्पष्टीकरण** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
14. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम,2000 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमो के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय :—

1 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
2 अ0पि0जा0 वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
3 अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

नोट – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 14 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

7. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :–** सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने का सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

8. नियुक्ति के लिये अयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–
   परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पुर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो गणना नही की जावेगी।
4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ती के लिये पात्र नही माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

9. आवेदन कैसे करें :–

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट – राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें

कृपया ध्यान दें :–

1. ऑन लाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्त पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूण्र एवं सही नही होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

2. आवेदको को हिदायत दी जाती है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमो का अध्ययन कर लें।

3. आयोग कार्यालय द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑन लाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑन लाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा।

4- **अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों को कार्यालय द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र भेजा जावेगा, आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी की वेबसाईट से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् इनकी पात्रता आंकी जावेगी तदुपरान्त स्पष्ट पाये गये पात्र अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्तावित**

किये जावेंगे जो अभ्यर्थी आयोग द्वारा निश्चित की गई दिनांक तक आवेदन पत्र भर प्रस्तुत नही करेगें उनका अस्थाई चयन रद्द कर दिया जावेगा।

5- आवेदकों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन मय पाठ्यक्रम के राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं आयोग की वेबसाईट http://www.rpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

<u>विशेष टिप्पणी</u> :–

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसल, प्रवेश–पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित् नहीं की जा सकती है।

नोट :–

1. आवेदक जिनके ऑन लाइन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा । परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियॉ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं । आयोग द्वारा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति,/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।
2. आवेदक **राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिक वर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999** नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।
3. आयोग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है । परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वैब साइट http://www.rpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।
4. श्रुत लेखक की सुविधा :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है , उन्हे आयोग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी ।
5. अनुचिंत साधनों की रोकथाम :– परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैं। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर दी गई है।

10. **<u>आयोग की वेबसाइट</u> :–** उम्मीदवार आयोग की वेबसाईट http://www.rpsc.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0145–5151200, 5151240 एवं 5151302 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।
समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाये ।

सचिव